

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 56/2015

संस्थित दिनांक-26.11.2011

फाईलिंग नंबर-230303005592011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. ओमकारसिंह जाट पुत्र अमोलसिंह जाट उम्र 35 साल
निवासी ऐंवाया पी0एस0 गोहद
2. पुन्ना उर्फ पूरन मिर्धा पुत्र रामचरन मिर्धा
उम्र 30साल निवासी पिपरौली
3. प्रवेश मिर्धा पुत्र रामचरन मिर्धा उम्र 35 साल
निवासी ग्राम पिपरौली

----- आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री आर0पी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता

--:- निर्णय --:-

(आज दिनांक 29 फरवरी-2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 392 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 29 जुलाई 2011 को सुबह करीब साढ़े दस बजे इटायली गेट के पास गोहद में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के प्रभावशील रहते हुए आपस में मिलकर संयुक्त तौर पर फरियादिया श्रीमती शालिनी का मंगलसूत्र एवं अमरसिंह का थैला जिसमें उसका नोकिया मोबाईल और एक हजार रुपये रखे थे छीनकर ले जाकर लूटकारित की।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 29.07.2011 को घटनास्थल इटायली गेट के पास गोहद मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। तथा यह भी निर्विवादित है कि रिपोर्टकर्ता मुकेश कटारे एवं फरियादिया शालिनी आपस में भाई बहन हैं और आरोपीगण गोहद के ही निवासी हैं।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 29.07.11 के सुबह करीब साढ़े दस बजे जब मुकेश कड़ेरे अपनी बहन शालिनी को गोहद से गोहद चौराहा के लिये छोड़ने जा रहा था तब इटायली गेट के आगे आने पर मुकेश आगे चल रहा था तथा उसकी बहन पीछे चल रही थी तभी एक लाल रंग की डिस्कवर मोटरसाईकिल पर तीन लोगों ने आकर झपट्टा मारकर उसकी बहन शालिनी का मंगलसूत्र खींच लिया जिसका मुकेश ने पीछा भी किया। किन्तु भीड़भाड़ होने से बदमाश भागने में सफल हो गये फिर वह अपनी बहन को गोहद चौराहे पर छोड़कर वापिस आया जो चार धाम की यात्रा पर जा रही थी तभी उसे हबीपुरा का अमरसिंह जाटव मिला जिसने भी उसे यह बात बताई कि वही बदमाश उसका भी थैला छुड़ाकर ले गये हैं जिसमें कपड़े व नोकिया मोबाईल व एक हजार रुपये नगद रखे थे।
4. उक्त आशय की रिपोर्ट मुकेश कड़ेरे ने अमरसिंह के साथ जाकर थाना गोहद में की थी। जिस पर से तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अप0क्र0-166/11 धारा-392 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध की जाकर घटना को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शामौका प्र0पी0-2, साक्षियों के कथन, आरोपीगण की गिरफ्तारी और उनके द्वारा दिय गये मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर हुई जप्ती के आधार पर प्रथम दृष्टया लूट का अपराध डकैती प्रभावित क्षेत्र में घटित होना पाते हुए वाद अनुसंधान अभियोग पत्र विचारण हेतु विशेष डकैती न्यायालय भिण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया जो अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।
5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 392 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
 - 1- क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 29.07.11 को फरियादिया शालिनी से उसका मंगलसूत्र एवं अमरसिंह से उसका थैला जिसमें मोबाईल फोन और एक हजार रुपये रखे थे, उन्हें सुबह करीब 10.00 बजे इटायली गेट के पास गोहद में बलपूर्वक छीनकर लूट कारित की?
 - 2- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना संयुक्त तौर पर कारित की?

--निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 एवं 2 का निराकरण

नोट:- उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

7. परीक्षित साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी मुकेश कड़ेरे अ0सा0-1, उसकी बहन शालिनी अ0सा0-2 व अमरसिंह अ0सा0-4 हैं क्योंकि अभियोजन के कथानक मुताबिक दिनांक 29.07.11 को दिन के करीब साढ़े दस बजे के आसपास लूट की घटना बताई गई है जिसमें मुकेश कटारे अपनी बहन शालिनी को चार धाम की यात्रा के लिये रवाना करने के लिये अपने घर गोहद से गोहद चौराहा की ओर साथ में जा रहा था कि इटायली गेट से आगे निकलकर आये तो वह आगे चल रहा था उसकी बहन पीछे चल रही थी तभी पीछे से लाल रंग की मोटरसाईकिल डिस्कवर पर तीन लड़कों ने आकर झपट्टा मारकर उसकी बहन का मंगलसूत्र छीनकर ले गये। जिनका पीछा करने पर नहीं पकड़ पाना तथा उसी समय के आसपास अमरसिंह का भी झोला उन्हीं तीन अज्ञात बदमाशों के द्वारा छुड़ाकर ले जाना बताया गया है जिसमें उसके कपड़े और एक हजार रुपये व मोबाईल था। मुकेश कटारे के द्वारा घटना की रिपोर्ट अमरसिंह के साथ थाना गोहद में जाकर की गई थी। प्र0पी0-1 की एफआईआर दर्ज कर घटना के संबंध में विवेचना की गई।
8. मुकेश अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को जानने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि शालिनी उसकी बहन है और घटना कथन दिनांक 07.03.13 के करीब दो साल पहले की सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास की बताते हुए यह कहा है कि वह अपने घर से बहन शालिनी को बस स्टेण्ड छोड़ने के लिये पैदल जा रहा था। वह आगे था शालिनी पीछे जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने उसकी बहन का सोने का मंगलसूत्र छीन लिया था। उसके बाद वह अपनी बहन को बस स्टेण्ड छोड़कर आया था। और उसके बाद रिपोर्ट करने के लिये थाने पर गया था। प्र0पी0-1 की रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने प्र0पी0-1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसको पहचान लिया था और उसके सामने घटनास्थल का नक्शामौका घटनास्थल पर जाकर बनाया गया था। प्र0पी0-2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर अवश्य बताता है। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को आरोपीगण के न पहचानने और घटनास्थल के नक्शामौका की कार्यवाही से इन्कार करने के आधार पर पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उसके द्वारा पैरा-2 में इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि घटना के समय न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण ही डिस्कवर मोटरसाईकिल पर बैठकर आये थे और उसकी बहन के गले से सोने का मंगलसूत्र छीना था। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि मंगलसूत्र छीनने पर उसने आरोपीगण का पीछा भी किया था। इस बात से भी इन्कार किया है कि उसे रास्ते में अमरसिंह मिला और अमरसिंह ने भी अपना थैला आरोपीगण के द्वारा ही छुड़ाकर ले जाना बताया जिसमें एक हजार रुपये मोबाईल और कपड़े थे। इस संबंध में प्र0पी0-3 का पुलिस को उसने कथन देने से भी इन्कार किया है। अभियोजन के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह आरोपीगण को सजा से बचाने के लिये असत्य कथन करते हुए जान-बूझकर उन्हें पहचानने से इन्कार कर रहा है।
9. अ0सा0-1 की तरह ही उसकी बहन शालिनी अ0सा0-2 ने भी अभिसाक्ष्य

देते हुए आरोपीगण को नहीं पहचाना है और यह भी कहा है कि वह उन्हें पहचान भी नहीं सकती है। यहाँ तक कहा है कि मंगलसूत्र छीनने वाले लोग न्यायालय में नहीं दिख रहे हैं। उसने पुलिस को प्र०पी०-4 के कथन में यह लिखाने से भी इन्कार किया है कि मंगलसूत्र छीनने वाले लड़कों का वह सामने आने पर पहचान लेगी।

10. इसी प्रकार अमरसिंह अ०सा०-4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि वह कथन दिनांक 24.07.14 से करीब तीन साल पहले अपने गांव हबीपुरा से गोहद अपने विकलांग बच्चे को लेकर पैसे निकालने के लिये जा रहा था तब भोजने की पुलिया के मोड़ पर एक मोटरसाईकिल पर तीन लोगों ने आकर उसकी मारपीट की और उसका मोबाईल, पेन्ट शर्ट व एक हजार रुपये छुड़ा लिये जिसकी उसने थाना गोहद में रिपोर्ट की थी। किन्तु साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि घटना इटायली गेट व बस स्टेण्ड के बीच की है और वह न्यायालय को गुमराह करने के लिये घटनास्थल बदल रहा है। ताकि आरोपीगण को बचाया जा सके। उसने प्र०पी०-11 का ए से ए भाग का कथन देने से भी इन्कार किया है जिसके 'इटायली-----गोहद' तक के भाग में घटना का विवरण दिया गया है। उसका केवल इतना कहना रहा है कि एक मोटरसाईकिल पर तीन लोग बैठकर आये थे। वह लाल रंग की थी किन्तु किस कंपनी की थी यह वह नहीं बता सकता क्योंकि वह पढा लिखा नहीं है और उसे यह भी जानकारी नहीं है कि जिन आरोपीगण ने उसके साथ लूट की थी, उन्होंने ही मुकेश कड़ेरे की बहन का मंगलसूत्र छीना था। मुकेश कड़ेरे के रास्ते में मिलने का वह समर्थन नहीं करता है। बल्कि थाने पर ही मिलना बताता है।

11. निरीक्षक डी०पी०गुप्ता अ०सा०-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 29.07.11 को थाना प्रभारी गोहद के पद पर पदस्थ रहते हुए मुकेश कड़ेरे के द्वारा तीन अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध अपनी बहन शालिनी से एक मंगलसूत्र तथा एक हजार रुपये व मोबाईल फोन की लूट के संबंध में रिपोर्ट करने पर प्र०पी०-1 की एफ०आई०आर० लेखबद्ध करना और विवेचना ए०एस०आई० राठौर को सुपुर्द करना बताया है। तथा यह स्वीकार किया है कि फरियादी ने रिपोर्ट के समय आरोपीगण की कद, काठी, हुलिया व उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी।

12. इस प्रकार से घटना के उक्त तीनों महत्वपूर्ण साक्षी हो कि घटना के पीड़ित पक्षकार हैं, उनके द्वारा विचाराधीन आरोपीगण को न तो पहचाना गया न ही उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य दी गई है न ही आरोपीगण के द्वारा लूट की घटना कारित करने का समर्थन कथानक मुताबिक किया है। जैसा कि प्र०पी०-1 की एफ०आई०आर० में बताया गया है। उपरोक्त तीनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से केवल इतना प्रमाणित होता है कि उनके साथ लूट की घटना हुई थी और मोटरसाईकिल पर तीन लोगों के द्वारा आकर की गई थी जो लाल रंग की डिस्कवर थी। किन्तु अभियोजन कथानक में लाल रंग की कोई डिस्कवर मोटरसाईकिल न तो बरामद हुई है न ही बरामदगी का प्रयास किया गया है। जैसा कि घटना के विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक एस०पी०एस० राठौर अ०सा०-9 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-6 व 7 में स्वीकार भी किया है और यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण की पहचान की कोई कार्यवाही नहीं कराई

गई थी। शालिनी ने लूट करने वालों को सामने आने पर पहचान लेने की बात पुलिस को बताने से भी इन्कार किया है। उसके पुलिस कथन प्र0पी0-4 में लूट करने वालों को सामने आने पर पहचान लेने का कोई उल्लेख नहीं है। बल्कि उसका जो मंगलसूत्र लूटा गया था उसे ही वह सामने आने पर पहचान लेने की बात अ से अ भाग में इस आधार पर लिखी गई है और विवेचना में यह भी स्पष्ट है कि मंगलसूत्र की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जैसाकि विवेचक अ0सा0-10 ने भी पैरा-6 में स्वीकार किया है। इसलिये अन्य साक्ष्य के आधार पर यह मूल्यांकित करना होगा कि शालिनी एवं अमरसिंह के साथ जो लूट की घटना घटित हुई, क्या वह विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा कारित की गई?

13. अनुसंधान के दौरान विचाराधीन आरोपीगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात उनके द्वारा पूछताछ करने पर दी गई जानकारी के आधार पर रूपयों की हुई बरामदगी पर से उन्हें अभियोजित किया गया है। इसलिये उससे संबंधित साक्षी जो अभियोजन की ओर से परीक्षित हुए हैं, उनके अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह विश्लेषित करना होगा कि क्या गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम और जप्ती की कार्यवाही विधि अनुरूप है और प्रमाणित होती है या नहीं तथा जिससे मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है या नहीं। क्योंकि आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण को विरोधियों के कहने पर पुलिस ने झूठा फंसा दिया है। वास्तव में आरोपीगण के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है और अभियोजन की साक्ष्य से भी घटना प्रमाणित नहीं है। इसलिये उन्हें दोषमुक्त किया जावे। जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि लूट की घटना अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से प्रमाणित होती है इसलिये आरोपीगण को कड़ा दण्ड दिया जावे।

14. अन्य परीक्षित साक्षियों में से प्र0पी0-5 लगायत 10 के पंच साक्षी मुन्नालाल अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को पहचानने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि उसके सामने पुलिस द्वारा आरोपी ओमकार को न तो गिरफ्तार किया गया, न उससे कोई पूछताछ की गई, न ही उसने पुलिस को कोई जानकारी दी और न ही कोई रुपये उसने जप्त कराये। इसी प्रकार उसने आरोपी पुन्ना उर्फ पूरन और प्रवेश मिर्धा से भी पूछताछ की जाने या उनसे कोई रुपये बरामद किये जाने का कोई समर्थन नहीं किया है। प्र0पी0-5 लगायत 10 के दस्तावेजों पर केवल अपने हस्ताक्षर बताये हैं। जो वह पुलिस द्वारा थाने के पास से निकलने पर पुलिस द्वारा करा लिया जाना कहता है। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि प्रवेश ने 200 रुपये और पुन्ना उर्फ पूरन ने 400 रुपये बरामद कराने की जानकारी दी थी। इस बात से भी इन्कार किया है कि प्रवेश से 200/-रुपये प्र0पी0-8 मुताबिक, ओमकार से 300 रुपये प्र0पी0-9 मुताबिक एवं पुन्ना उर्फ पूरन से 400 रुपये प्र0पी0-10 मुताबिक जप्त हुए थे। तथा प्र0पी0-9 के दूसरे पंच साक्षी अजय उर्फ गुड्डू अ0सा0-9 के द्वारा भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी ओमकार से 100-100 के तीन नोट 300 रुपये की जप्ती होना और उसका प्र0पी0-9 का

दस्तावेज तैयार करने से इन्कार किया है। केवल उस पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं जो वह थाने पर करा लिया जाना कहता है और उसके सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इस तरह से उसके द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। ऐसे में अन्य साक्षी जो कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारी होकर आपस में हितबद्धता रखते हैं, उनके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

15. आरोपी ओमकार का गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-5, आरोपी प्रवेश का धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-6, पुन्ना उर्फ पूरन के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-7 एवं जप्ती पत्रक प्र0पी0-10, आरोपी ओमकार के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-13 के दूसरे पंच साक्षी आरक्षक रवि कन्नौजिया को अभियोजन की ओर से अ0सा0-6 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह दिनांक 01.09.11 को थाना गोहद में पदस्थ था। उक्त दिनांक को इटायली गेट पर लूट की घटना हुई थी उसके संबंध में आरोपियों की तलाश की जा रही थी। उसके सामने आरोपी ओमकार को पिंपरौली व ऐंचाया पुलिस पर गिरफ्तार कर प्र0पी0-5 का गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया था और उसके बाद उससे पूछताछ की गई थी जिसका प्र0पी0-13 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया था। जो एसआई राठौर ने कार्यवाही की थी। जिस पर उसके अन्य गवाह एवं आरोपियों के भी हस्ताक्षर कराये गये थे और मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी ओमकार के घर से 400/-रुपये बरामद किये गये थे। जिसकी जप्ती की कार्यवाही भी दरोगा जी ने करते हुए प्र0पी0-10 के जप्ती पत्रक पर भी उसके हस्ताक्षर कराये थे। मुख्य परीक्षण में वह और कोई कार्यवाही होने से इन्कार करता है। तथा आरोपी पुन्ना उर्फ पूरन के भी थाने पर उसके सामने दरोगा द्वारा पूछताछ की जाना और उसमें पुन्ना उर्फ पूरन के द्वारा 300/-रुपये घर पर रखे होने की जानकारी देने पर प्र0पी0-7 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना वह कहता है। अन्य तथ्यों से उसके द्वारा इन्कार किया गया है। उक्त पुलिस कर्मी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित करते हुए जो सूचक प्रश्न पूछे गये हैं, उनमें उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी प्रवेश एवं पुन्ना उर्फ पूरन दोनों सगे भाई हैं और एक ही घर में रहते हैं।

16. उक्त साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी पुन्ना उर्फ पूरन ने 200 रुपये खर्च होने की बात और पेटी में 300 रुपये रखने की बात बताई है। 300 रुपये खर्च होने की बात बताने से वह इन्कार करता है। वह प्र0पी0-7 के मेमोरेण्डम के समय यह जानकारी मिलने के बारे में ध्यान न होना कहता है कि पुन्ना को 500 रुपये खर्च मिलना, 500 रुपये ओमकार को मिलना व शेष सामान उसके भाई प्रवेश के पास रखना बताया था। वह इस बात से भी इन्कार करता है कि पुन्ने ने 100 रुपये खर्च होना और 400 रुपये घर में पेटी में रखना बताया था। बल्कि वह 200 रुपये खर्च होना और 300 रुपये पेटी में रखे होना कहता है जबकि प्र0पी0-7 के आरोपी पुन्ना उर्फ पूरन के धारा-27 साक्ष्य विधान के कथन में 100 रुपये खर्च कर लिया जाना और 400 रुपये पेटी में घर पर कमरे में रखने का प्रकटीकरण का उल्लेख है जिससे वह इन्कार कर रहा है। उसके अभिसाक्ष्य में रूपयों की संख्या में भी अंतर आया है। और पैरा-3 में उसने

यह भी स्वीकार किया है कि वह घटना भूल गया है। ऐसे में उक्त साक्षी के द्वारा जो अभियोजन के समर्थन में आंशिक तथ्य बताये गये हैं वह भी विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं। क्योंकि दूसरा पंच साक्षी पूर्णतः उक्त कार्यवाही का समर्थन करता है। आरोपीगण की गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम, कथन व जप्ती की कार्यवाही से संबंधित कोई रोजनामचासन्हा भी प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि किस आरोपी से किस दिनांक को कौनसी कार्यवाही दरोगा जी द्वारा कराई गई थी। ऐसे में अ0सा0-6 का अभिसाक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है। और उस पर से किसी तथ्य कोई प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। न ही प्र0पी0-5, 7, 10, एवं 13 की प्रमाणिकता को उसकी अभिसाक्ष्य से कोई बल मिलता है।

17. अब प्रकरण में केवल अ0सा0-5 व 9 की साक्ष्य शेष है। शिवकुमार शर्मा अ0सा0-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 20.03.12 को थाना गोहद में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए अप0क0-166/11 धारा-392 भादवि एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के तहत आरोपी प्रवेश मिर्धा को उपजेल भिण्ड से गिरफ्तार कर उसका प्र0पी0-12 का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार करना तथा उसका दिनांक 21.03.12 को थाने पर पूछताछ कर दी गई जानकारी के संबंध में प्र0पी0-6 का धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना और प्रवेश के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 200 रुपये की जप्ती उसके घर से कर प्र0पी0-8 का जप्ती पत्रक तैयार करना बताया है। प्र0पी0-6, 8 एवं 12 के पंच साक्षी मुन्नालाल और आरक्षक अजय बघेल हैं जिनमें से आरक्षक अजय बघेल को पेश नहीं किया गया है। और मुन्नालाल ने परीक्षित होने पर समर्थन नहीं किया है। उक्त विवेचक ने यह स्वीकार किया है कि लूटे गये मंगलसूत्र की जप्ती नहीं हुई थी। तथा मंगलसूत्र के संबंध में आरोपी प्रवेश से मेमोरेण्डम कथन में भी कोई जानकारी नहीं ली गई थी। जबकि जो मूल घटना घटित होना बताई गई है उसमें सर्वप्रथम शालिनी का मंगलसूत्र ही लूटा जाना बताया गया है। और अमरसिंह का झोला लूटना बताया गया है। जो कि घटना का समर्थन नहीं करते हैं। उक्त आरोपी को किस आधार पर प्रकरण में पकड़ा गया था उसका कोई स्रोत भी नहीं बताया गया है। इसलिये अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-6 एवं 8 के दस्तावेज प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं। गिरफ्तारी अवश्य चूंकि सबजेल भिण्ड से की गई थी इसलिये उसे प्रमाणित माना जा सकता है। किन्तु उसके आधार पर अभियोजन के पक्ष में ऐसी कोई उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है कि प्र0पी0-6 व 8 की कार्यवाही भी वास्तविकता में हुई। इसलिये अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अमरसिंह के जो एक हजार रुपये लूटे गये थे उनके ही जप्तशुदा रुपये अंश हैं। या लूटे गये मंगलसूत्र को विक्रय कर उसकी राशि में से खर्च किये जाने के पश्चात जो राशि बची, वह जप्ती का अंश है। क्योंकि रुपयों की कोई पहचान की कार्यवाही नहीं हुई न ही आरोपियों की पहचान की कार्यवाही हुई है।

18. सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक एस0बी0एस0 राठौर अ0सा0-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि उसे एफ0आई0आर0 दिनांक 29.07.11 को पंजीबद्ध होने के तत्पश्चात विवेचना प्रारंभ हुई थी और करीब चार महीना उसके पास विवेचना रही थी। इस दौरान उसने फरियादी मुकेश की निशादेही पर

घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-2 बनाया था जिससे मुकेश अ0सा0-1 अपने अभिसाक्ष्य में इन्कार करता है और विवेचक ने यह भी कहा है कि उक्त दिनांक को ही उसने मुकेश और अमरसिंह के उनके बताये अनुसार कथन लिये थे जिससे भी मुकेश अ0सा0-1 व अमरसिंह अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में खण्डन किया है। उक्त विवेचक ने दिनांक 09.11.11 को शालिनी का उसके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना कहा है जिसका शालिनी अ0सा0-2 ने खण्डन किया है। तथा उक्त विवेचक ने दिनांक 02.08.11 को आरोपी ओमकार को प्र0पी0-5 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार करना और उससे पूछताछ कर प्र0पी0-13 का मेमोरेण्डम कथन धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत लेखबद्ध करना बताया है। तथा उसमें दी गई जानकारी के आधार पर ओमकार से 300 रुपये उसके घर की पेटी से जप्त करना बताते हुए प्र0पी0-9 का जप्ती पत्रक तैयार करना कहा है। इस तरह से आरोपी मुकेश से संबंधित गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम तथा जप्ती पत्रक के पंच साक्षी रवि कन्नौजिया और मुन्नालाल हैं किन्तु मुन्नालाल ने उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है और रवि कन्नौजिया को विश्वसनीय नहीं माना गया है। जैसा कि उपर विश्लेषित किया जा चुका है इसलिये अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-5, 9 व 13 के दस्तावेज संदिग्ध हो जाते हैं और प्रमाणित नहीं होते हैं। तथा उक्त विवेचक ने पैरा-7 के अंत में यह स्वीकार किया है कि जो रुपये उसके द्वारा जप्त किये गये, उनकी कोई पहचान नहीं हुई और ऐसे रुपये किसी के पास भी मिल सकते हैं। ऐसे में आरोपी ओमकार का प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 में बताई गई घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहना पूर्णतः संदिग्ध है।

19. अ0सा0-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी पुन्ना उर्फ पूरन को न्यायालय भिण्ड में समर्पण करने पर गिरफ्तार करते हुए प्र0पी0-14 का गिरफ्तारी पत्रक दिनांक 30.08.11 को तैयार करना बताया है और उससे की गई पूछताछ में दी गई जानकारी के आधार पर धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-7 साक्षियों के समक्ष तैयार करना बताया है जिसमें दी गई जानकारी के आधार पर 400 रुपये उक्त आरोपी के घर के कमरे से बरामद कर प्र0पी0-10 का जप्ती पंचनामा तैयार करना कहा है। किन्तु उक्त कार्यवाही का भी मुन्नालाल अ0सा0-3 ने कोई समर्थन नहीं किया है और प्र0पी0-14 को गिरफ्तारी पंचनामा के प्रमाणित होने मात्र से उक्त आरोपी को भी लूट की किसी घटना में शामिल होने की उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है। प्र0पी0-7 एवं 10 के संबंध में दूसरे पंच साक्षी आरक्षक रवि कन्नौजिया को विश्वसनीय नहीं पाया गया है। किस आधार पर आरोपी को भी कपड़ा गया इसके बारे में उक्त विवेचक ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इसलिये उसकी साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। तथा विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही में किसी भी साक्षी ने किसी आरोपी का कद, काठी, हुलिया, रंग रूप आदि नहीं बताया। न उम्र बताई गई। वह पैरा-6 में साक्षी मुकेश और शालिनी के पुलिस कथन प्र0पी0-3 व 4 में लूट करने वालों की उम्र का भी कोई लेख न होना स्वीकार किया है। इस तरह से उक्त विवेचक के अभिसाक्ष्य से भी कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

20. धारा-27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक— **अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी—** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से,

जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

21. अभिलेख पर अभियोजन की ओर से उक्त प्रकरण में जो साक्ष्य पेश की गई है उससे धारा-27 साक्ष्य विधान में जिन तत्वों को प्रमाणित करने के आवश्यकता बताई गई है वे तत्व उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होते हैं। इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि विचाराधीन आरोपीगण ओमकार, पुन्ना उर्फ पूरन व प्रवेश के द्वारा ही प्र०पी०-1 की एफ०आई०आर० में बतलाई गई लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। फलतः आरोपीगण के विरुद्ध विचाराधीन आरोप पूर्णतः संदिग्ध हैं इसलिये वे संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं।

22. अतः आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि उन्होंने दिनांक 29.07.11 का सुबह करीब साढ़े दस बजे इटायली गेट के पास गोहद में एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के प्रभावशील रहते हुए संयुक्त तौर पर शालिनी से उसके गले में पहना हुआ सोने का मंगलसूत्र एवं अमरसिंह से उसका थैला जिसमें मोबाईल फोन व एक हजार रुपये भी थे, उन्हें छीनकर लूट करित की। फलतः आरोपीगण को धारा-392 भा०द०वि० सहपठित धारा-11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

23. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। आरोपी प्रवेश प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में उपजेल डबरा से प्रस्तुत हुआ है अतः उसके जेल वारण्ट पर नोट लगाया जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः यदि उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे इस प्रकरण में अविलंब रिहा किया जावे।

24. प्रकरण में आरोपी ओमकार से 300/-रुपये, पुन्ना उर्फ पूरन से 400/-रुपये एवं प्रवेश से 200/-रुपये बरामद होना बताये गये हैं जिन पर फरियादी द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है और मामला प्रमाणित भी नहीं हुआ है इसलिये जप्त रुपये अपील अवधि पश्चात आरोपीगण को विधिवत वापिस किये जावें एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

25. निर्णय की प्रति डी०एम० भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: **29.02.2016**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड